भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या : **196**

दिनांक 4 जुलाई , 2019 / 13 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान-यात्री किराए में वृद्धि

*** 196. श्री पी. के. कुनहलिकुट्टी:**
कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरलाइनों द्वारा विशेषकर मई के अंतिम सप्ताहों और जून के महीने में तथा उत्सवों और छुट्टियों के दौरान भी कालीकट और खाड़ी देशों के मार्गों के लिए अधिक विमान-यात्री किराया वसूल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध् में खाड़ी क्षेत्र के अनिवासी भारतीयों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) विमानयात्री किराया वर्ष भर युक्ति संगत बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'विमान-यात्री किराए में वृद्धि' विषय पर लोक सभा के दिनांक 04.07.2019 के मौखिक प्रश्न संख्या 196 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): किरायों का निर्धारण, मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है। जेट एयरवेज के प्रचालनों के निलंबन और बोइंग 737 मैक्स की उड़ानें बंद किए जाने से आपूर्ति पक्ष अवरुद्ध हुआ था। एयरलाइनों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, केरल से खाड़ी देशों के लिए कुछ सेक्टरों पर औसत किराए में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।

(ख): सरकार द्वारा, केरल से प्रचालित होने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता में वृद्धि के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) कालीकट हवाईअड्डा दिसंबर, 2018 से वाइड बॉडी विमानों के प्रचालनों के लिए खोला गया और मैसर्स सउदी एयरलाइंस ने 5 दिसंबर, 2018 से कालीकट से जेद्दा और रियाद के लिए वाइड बॉडी विमानों के साथ दैनिक अनुसूचित प्रचालन आरंभ कर दिए।
(ii) कुछ भारतीय वाहकों ने कालीकट हवाईअड्डे से खाड़ी देशों के गंतव्यों के लिए नई उड़ानें आरंभ कीं।
(iii) कन्नूर हवाईअड्डा दिसंबर, 2018 में खोला गया और एअर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो एयरलाइंस और गो एयर जैसे भारतीय वाहकों ने कन्नूर हवाईअड्डे से विदेशी गंतव्यों के लिए सेवाएं आरंभ की है। ग्रीष्म 2019 में इस हवाईअड्डे से विदेशी गंतव्यों के लिए सेवाओं की कुल संख्या प्रति सप्ताह 40 थी।
(iv) जेट एयरवेज के यातायात अधिकार अन्य भारतीय वाहकों को आवंटित किए गए हैं और उनके द्वारा इन पर प्रचालन आरंभ करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) से (घ): भारत-खाड़ी सेक्टर पर हवाई किराए में बढोतरी के मुद्दे के संबंध में समय समय पर बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार ने किरायों पर दबाव को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसा कि उपर्युक्त (ख) में ब्यौरा दिया गया है।
मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ, सरकार द्वारा हवाई किराया अनुमोदन का प्रावधान समाप्त कर दिया था। एयरलाइनें, विमान नियमावली 1937 के नियम 135 के उप-नियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत प्रचालन लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तियुक्त लाभ और सामान्य तौर पर प्रचलित टैरिफ सहित सभी संगत कारकों के संदर्भ में युक्तियुक्त टैरिफ निर्धारित कर सकती हैं। एयरलाइन मूल्य-निर्धारण प्रणाली अनेक स्तरों (बकेट्स या आरक्षण बुकिंग डेजिगनेटर (आरबीडी)) में चलती है, जो विश्व भर में अपनाई जा रही परिपाटी के अनुरूप है। एयरलाइनों द्वारा कीमतें, बाजार, मांग, मौसमीयता और अन्य बाजार शक्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं। हवाई किराया, सीटों की मांग में वृद्धि के साथ बढ़ता है क्योंकि एयरलाइनों द्वारा बुकिंग ऑफर दिए जाने पर निम्न श्रेणी के किराए वाली सीटें तेजी से बिक जाती हैं। कुछ एयरलाइनों ने, मौजूदा 60 दिन, 30 दिन, 14 दिन आदि की अग्रिम खरीद योजनाओं के अतिरिक्त एपेक्स-90 आरंभ किया है, जिसमें बहुत अधिक छूट-प्राप्त किराए ऑफर किए जा रहे हैं, जिनके अंतर्गत व्यस्ततम सीजन के दौरान भी कम किराए पर यात्रा की जा सकती है। जब तक एयरलाइनों द्वारा प्रभारित किराया उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किराए के अनुरूप होता है, एयरलाइनें वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (2) की अनुपालक बनी रहती हैं। मौजूदा विनियम के अनुसार, सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों द्वारा अपनी-अपनी वेबसाईटों पर मार्ग-वार एवं श्रेणी-वार किराए प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

(ड.): डीजीसीए किरायों की नियमित रूप से निगरानी करता है और सरकार ने एयरलाइनों को सलाह दी है कि किरायों को औचित्यपूर्ण स्तरों पर रखा जाए।

*****